न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

केम्प मोटा का खेड़ा

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 07 / 2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री मनोहरसिंह पिता छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
2. श्री प्रहलादसिंह पिता छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
3. श्री गोरधनसिंह पिता छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
4. श्री अमरसिंह पिता छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
5. गीतादेवी पुत्री छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
6. पानी देवी पुत्री छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा
7. भगवती देवी पत्नी छोगा उर्फ छोगासिंह दरोगा निवासी कुँवार तह. करेडा

––––प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा

––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बावत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री कमलेश मेहता – अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2– – अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 19.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मोटा का खेड़ा पर पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपने घर आवादी आ0नं0 470 से अपनी खातेदारी आराजी संख्या 478 में पूर्व दिशा में आ0नं0 481, 482, 483, 484, 487 से सटता कच्चा रास्ता जो बिलानाम आ0नं0 475 में स्थित है से आते–जाते है। प्रार्थीगण इसी रास्ते को दर्ज रेकार्ड कराना चाहते है। प्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी आराजी संख्या 478 में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। मैनें पत्रावली, तहसीलदार करेडा की मौका रिपोर्ट, वकील वादीगणों की बहस पर चिंतन मनन किया गया। पूर्व दिशा में आ0नं0 481, 482, 483, 484, 487 से सटता कच्चा रास्ता जो बिलानाम आ0नं0 475 में स्थित है, जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 478 पर आते–जाते होगें। अतएव

आदेश

प्रार्थीगणों को अपनी आराजी संख्या 478 पर आने–जाने हेतु ग्राम कुँवार पटवार हलका मोटा का खेड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 475 रकबा 8.16 बीघा में से 0.11 बीघा भूमि जो आ0नं0 481, 482, 483, 484, 487 के सहारे–सहारे दिये जाने के आदेश किए जाते है। प्रार्थीगणों द्वारा उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि की वर्तमान प्रचलित दर से दोगुनी राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात तहसीलदार करेडा आदेश अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। उक्तानुसार दर्ज रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर
करेडा

Scanned by CamScanner